

# रंजन गोगोई के फैसले और पेगासस जासूसी

मनोज तिवारी

मोदी सरकार पर कई पत्रकारों और नेताओं के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी का आरोप लगा है। जिसमें पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का नाम भी है। गोगोई को इस समय भाजपा राज्यसभा का सदस्य बना चुकी है। गोगोई के बतौर चीफ जस्टिस कार्यकाल के फैसलों पर नज़र डालें तो सारा खेल समझ में आ जाता है।

अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के विवादास्पद फैसले को इस देश के गैर भाजपा-गैर संघी छन्दू भूले नहीं हैं। अब समझ में आ रहा है कि गोगोई ने वो विवादास्पद फैसला क्यों दिया होगा। उस फैसले ने हिन्दूओं का नहीं इस देश का नुकसान किया है। बड़ी मेहनत से हमारे पुरुषों ने देश में जो भाईचारा, आपसी सौहार्द कायम किया था, इस फैसले ने देश की उस धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार किया है। अयोध्या के अलावा जस्टिस लोया की रहस्यमय मौत, राफेल डील, ईवीएम वीवीपैट मामले पर गोगोई के फैसले उनको निष्पक्षता पर अब सवाल बन गए हैं।

## ऐसे हुई थी शुरूआत

एक महिला देश के एक संवैधानिक पद के शीर्ष पर बैठे एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है। महिला की नौकरी चली जाती है। यही नहीं उसके पाति और एक अन्य रिश्तेदार की नौकरी भी चली जाती है। फिर जॉच होती है और आरोपी न्यायधीश खुद बैंच की अध्यक्षता करते हुए खुद मामले की सुनवाई करते हैं और खुद को निर्दोष करार दिए जाने का फैसला सुनाते हैं। केस खत्म...

आरोप सही या गलत

आरोप या तो गलत थे या फिर सही।



जब कोर्ट ने आरोप को गलत बताते हुए फैसला दिया इसका मतलब है महिला ने गलत आरोप लगाए थे। महिला चुंकि खुद सर्वोच्च न्यायालय की कर्मी थी तो उसे मुख्य न्यायाधीश पर झूटे आरोप लगाने का अंजाम पता न हो ऐसा संभव नहीं। बावजूद इसके उसने आरोप लगाए। फिर जब उसके आरोप गलत साबित हो गए तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पर झूटे आरोप लगाने के लिए सजा होनी चाहिए थी। नहीं हुई...

मुझे इससे तब बहुत आश्र्य हुआ था। लेकिन जब सजा मिलने की जगह महिला को फिर से नौकरी पर बहाल कर लिया गया तो मुझे और भी अजीब लगा। यही नहीं उसके पाति और रिश्तेदार को भी नौकरी वापस मिल गयी। एक सामान्य नागरिक के तौर पर मैं इसे तब भी आसानी से समझ नहीं पा रहा था।

इन सबके बीच एक शछू ने इस महिला पर सुप्रीम कोर्ट में नौकरी दिलाने

के नाम पर 50 हजार रुपये रिश्तत लेने का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। लेकिन यौन शोषण के मामले में फैसला आने के बाद आश्र्यजनक रूप से उस व्यक्ति ने अपना केस वापस ले लिया। दिल्ली पुलिस ने मुकदमे का क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए केस खत्म कर दिया।

अब ये मामला बीते दिनों की बात है। इस बीच महिला, उसके पाति और रिश्तेदार अपनी पुरानी नौकरी में फैसले के बाद होकर काम कर रहे हैं। तब के मुख्य न्यायाधीश जिनपर आरोप था वो रिटायर होकर अब भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं।

कल से यह पुराना मामला फिर से सुर्खियों में है क्योंकि खुलासा हुआ है कि महिला के तीन फोन नंबरों और परिवार के अन्य लोगों को जोड़कर कुल 11 फोन नंबरों को उसी अवधि में इज़रायली सॉफ्टवेयर पर गोगोई के फैसले उनको निष्पक्षता पर अब सवाल बन गए हैं।

## अशोक लवासा की जासूसी

क्या अशोक लवासा की इसलिए जासूसी कर वाई गयी क्योंकि वह %ईवीएम-वीवीपैट में खामियां ढूँढ़ने में दिलचस्पी दिखा रहे थे?

पेगासस से जुड़े खुलासे में चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अशोक लवासा का भी नाम आया है आप शायद अशोक लवासा को भूल गए होंगे मैं आपको याद दिला देता हूँ।

अशोक लवासा हरियाणा कैडर के (बैच 1980) के रिटायर्ड आईएस अधिकारी हैं। लवासा का 37 सालों का प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कैरियर रहा है वह भारत के चुनाव आयुक्त बनने से पहले वो 31 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय वित्त सचिव के पद से सेवा-निवृत्ति हुए थे। इसके बाद

उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया।

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा वही है जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता के कथित तौर पर उल्लंघन के मामले में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ शिकायतों वाले चुनाव आयोग के क्लीन चिट देने के फैसले पर असहमति जारी थी। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से जुड़े पांच मामलों में क्लीन चिट दिए जाने का विरोध किया था। ये मामला वर्धा में एक अप्रैल, लातूर में नौ अप्रैल, पाटन और बाड़मेर में 21 अप्रैल तथा वाराणसी में 25 अप्रैल को हुई रैलियों में मोदी के भाषणों से संबंधित था।

पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मिली आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए गठित समिति में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा शामिल थे। मोदी और शाह को क्लीन चिट दिए जाने पर चुनाव आयुक्त लवासा का मत बाकी दोनों सदस्यों से अलग था और वह इन आरोपों को आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में मान रहे थे। लेकिन बहुत से लिए गए फैसले में दोनों के आचरण को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानते हुए क्लीनचिट दे दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं लवासा के मत को भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। लवासा चाहते थे कि उनकी अल्पमत की राय को रिकॉर्ड किया जाए। उनका आरोप है कि उनकी अल्पमत की राय को दर्ज नहीं किया जा रहा है,

जब पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता विहार दुर्वे ने यह जानने के लिए एक आरटीआई लगाई कि लवासा की इन टिप्पणियों में खामियां ढूँढ़ने में दिलचस्पी दिखाई थी। गोपीनाथन ने ट्वीट करके लिखा, 'एक चुनाव आयुक्त जिसने ईवीएम-वीवीपैट की प्रक्रिया में खामियां ढूँढ़ने में दिलचस्पी दिखाई, उसे सरकार ने निशाना बनाया। हम अभी भी चुप हैं और उन्हें उनकी छवि खराब करने और बदनाम करने दे रहे हैं।'

अब आप समझ ही सकते हैं कि अशोक लवासा को क्यों सर्विलास के लिए चुना गया था !

एक उमीद थी बराबर बराबर बड़े बड़े टुकड़े मिलने की। राजा ने कहा प्लास्टिक के चाकू से केक नहीं काटा जाएगा ये हमारी स्कूलिंग के विरुद्ध है। हम अपनी पूर्वजों की तलवार से केक काटेंगे। निशानेदेही भी ठीक से हुई नहीं थी राजा के मर्त्रियों ने आगाह किया। परंतु राजा को अपने कौशल पे पूरा भरोसा था। उसने तलवार मंगवाई, तलवार भारी थी और उपरोग में न होने के कारण चाकू से भी कम धार थी। कुल मिलाकर भोथरी तलवार थी।

राजा ने मूँछों पर ताव देते हुए भोथरी तलवार केक पर दे मारी। भला भोथरी तलवारों से केक कटा करते हैं, केक के दो टुकड़े हुए और उस भोथरी तलवार से चिपके हुए हवा में उछले और ध..... प्य की आवाज के साथ दोनों टुकड़े उत्तरे होकर जमीन पर आ गिरे। सभा में शांति छा गयी। केक के ऊपर लगी चेरी ही केक में असली थी जो राजा के सर के ऊपर से होते हुए पीछे लपक ली गई। राजा ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए कहा कि देखो मैंने कहा था न " ना खाऊंगा ना खाने दूंगा" अब इसे कोई भी नहीं खा सकता। मर्त्रियों ने सभा में लोमहर्षक ध्वनि की।

अब राजा ने कहा मैं इससे भी बड़ा केक मंगवाऊंगा आप चिंता मत करिए ये कहते हुए कर बड़ा दिए गए। आवाम की हालत खस्ता हो चुकी थी वो मन मारे घर की और लौटने लगे। घर लौटते हुए वो सोच रहे थे कि भाई अब तो छोटा टुकड़ा भी नहीं मिल रहा, और वो दो आदमी कौन थे जो राजा के पीछे खड़े थे और उस असली चेरी को लपक ले गए ?

समझिए इस बात को निष्कपटा सही निर्णय की गारंटी नहीं होती। कोई आदमी निष्कपट और ईमानदार होते हुए भी गलत हो सकता है। और आप क्या सोच रहे हैं कि कहानी का राजा तो निष्कपट भी नहीं था, निरा मूर्ख था ! सही सोच रहे हैं !

## मोदी कह रहे तो ठीक ही होगा...लोग खुद मरे, ऑक्सीजन की कमी से नहीं

आलोक शुक्ला

आज सत्य का एक बार फिर से उदय हुआ है!

मोदी सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी के मरने की कोई सूचना नहीं है।

गनीमत है, उसने ये नहीं कहा कि कोरोना से कोई मरा ही नहीं।

हालांकि, वह चाहती तो कह देती कि यहाँ कोरोना आया ही नहीं। और यह देश मान भी लेता। आखिर किसे लोया बनाने का शॉक चर्चाया है।

लेकिन, धन्य है सच्ची, ईमानदार, बहादुर और धर्मनिष्ठ सरकार, जो पूरे ईमान और बहादुरी से सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपनी प्रजा का ख्याल रखती है तथा उसके बाद खुलती जाती है। झूट तो रत्तीभर भी नहीं! सच में, सच बोलने में इसका कोई सानी नहीं!

तो हे असत्य नारायण के भक्तगणों! ये तुम्हारे प्रसन्न होने, नाचने-